SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

संघवादः विकासशील देशों में प्रभाव के विशेष संदर्भ में

शेखर चंद्र, शोधार्थी, बौद्ध अध्ययन विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
शेखर चंद्र, शोधार्थी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/03/2024
Revised on : -----
Accepted on : 09/05/2024
Overall Similarity : 00% on 01/05/2024

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: 0%
Date: May 1, 2024
Statistics: 0 words Plagiarized / 3009 Total words
Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

शोध सार

विकासशील देशों में संघवाद का मतलब हो सकता है कि संघर्ष या समर्थन, एक समूह या संगठन के लिए जो एक विशेष धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, या सांस्कृतिक विचारधारा को प्रतिष्ठित करता है। विकासशील देशों में, यह संघवाद अक्सर राजनीतिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघवाद के प्रकार, संगठन, और संवेदनशीलता पर निर्भर करते हैं। विकासशील देशों में राजनीतिक दल संगठित प्रकृति के होते हैं और अपने धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए लोगों का समर्थन जुटाते हैं। शोध पत्र में संघवाद की परिभाषा के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि कैसे विकासशील देशों में राजनीतिक दल सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह आमतौर पर दूसरे विचारधाराओं के साथ विरोधी होता है और विवादों का कारण बन सकता है। भारत के संदर्भ में संघवाद का विश्लेषण करते हुए इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधतापूर्ण स्थिति का अवलोकन किया जाएगा। उभरते क्षेत्रों में संघवाद के समक्ष आने वाले समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के साथ–साथ इसके प्रभाव की व्याख्या की जाएगी। विकासशील देशों में संघवाद की उपस्थिति समृद्धि और प्रगति के मार्ग में अवरोधक भी हो सकती है, लेकिन सही रूप में नियंत्रित किया जाए तो यह एक सकारात्मक दिशा में भी जा सकता है। इस शोध पत्र में उन कारणों पर भी चर्चा की जाएगी जिससे विकासशील देशों में एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलन बनाने में चुनौतियाँ आती हैं और इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांगठनिक प्रभावों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

मुख्य शब्द

संघवाद, सामाजिक, अर्थिक, संगठन.

प्रस्तावना

संघवाद और विकासशील देशों पर इसके प्रभाव पर चर्चा करने से पहले, हमें संघवाद के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बात करनी चाहिए। श्फेडरेशनश शब्द लैटिन शब्द 'फीडस' से लिया गया है, जिसका अर्थ समझौता या संधि है। यह समझौता एक संघ की स्थापना के लिए तैयार विभिन्न राज्यों के बीच किया गया है। संघ की स्थापना तभी संभव है जब सभी राज्यों से समझौता कर लिया जाए।[1] इस लिखित संधि या समझौते में राज्यों में दो प्रकार की प्रशासन प्रणालियाँ स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है। इन दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में से एक राज्य स्वयं है, उसकी अपनी स्वतंत्र सरकारें हैं तथा दूसरी केन्द्र सरकार है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया संघवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं। संघीय व्यवस्था एक आधुनिक विचार है जो अमेरिकी संविधान के उद्भव के बाद अस्तित्व में आया। संघीय राज्य में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच होता है।[2]

प्रशासन व्यवस्था का वर्गीकरण उन पद्धतियों के आधार पर स्थापित किया जाता है, जिनके माध्यम से शासन की शक्ति को केंद्र सरकार और पूरे देश की क्षेत्रीय सरकारों के बीच वितरित किया जाता है, जो देश के कुछ हिस्सों और भागों के अधिकारों का उपयोग करती हैं। इसी आधार पर इन्हें संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का नाम दिया गया है, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में कई स्थानों पर इसके दो प्रकार के मिश्रित रूप भी हैं। भारत में अर्धसामाजिक व्यवस्था स्थापित हो चुकी है।

भारतीय संघीय व्यवस्था की आलोचना इस तथ्य के आधार पर की जाती है कि संघर्ष शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं आता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी नहीं है। संघर्ष शब्द का प्रयोग अमेरिकियों द्वारा संघीय संघर्ष के रूप में किया जाता है। बाद के दिनों में ही इसे संविधान में शामिल किया गया है। जर्मनी के संघीय गणराज्य में, संघीय शब्द संघर्ष के रूप में प्रकट होता है। अत यह संघवाद की तरह ही पाया जाता है, किसी रूप में नहीं।

जब वास्तविकता की बात आती है, तो तथ्य यह है कि भारतीय संघीय प्रणाली मूल अमेरिकी मॉडल में नहीं है, लेकिन कनाडाई डोमिनियन सरकार के कनाडाई मॉडल के बीच अंतर यह है कि कनाडाई संघ दो जातीय–सांस्कृतिक समूहों के मिलन का परिणाम था। हालाँकि भारतीय संघ में कई सांस्कृतिक समूह हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में दो प्रमुख धार्मिक समुदायों – हिंदू और मुस्लिम – को संबोधित करना था। विभाजन के बाद भारत एक केंद्रीकृत संघ में बदल गया, लेकिन संघीय ढांचे का दावा किया गया कि संघीय संघ की शक्ति 1935 पर आधारित रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।[3]

संघीय सरकार प्रणाली के अंतर्गत सरकार की शक्तियों का विभाजन देश की केंद्र सरकार और देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच किया जाता है ताकि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में कानूनी रूप से स्वतंत्र हो और अपने निर्णय स्वयं ले सके और अपना विकास कर सके। देश की सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है और वह अपनी शक्ति का उपयोग देश के अन्य हिस्सों की सरकारों के नियंत्रण के बिना करती है, और राज्यों की सरकारें भी केंद्र सरकार के दबाव के बिना अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की विधायिका अपनी सीमित शक्तियों का उपयोग करती है। दोनों में से कोई भी एक–दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता और सुचारू रूप से काम करता है।

संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय स्वायत्तता की रक्षा करती है और इसका उत्तरदायित्व राष्ट्रीय एकता भी प्रदान करना है। संघीय ढाँचा भी सरकार की एक योजना है, जिसमें क्षेत्रीय आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बँटवारा होता है। यह केवल एक सरकार के हाथों में शक्ति और अधिकार की एकाग्रता को सीमित करता है क्योंकि देश की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं। इस प्रकार दोनों सरकारों की शक्तियाँ सीमित हैं।

अमेरिकी संविधान के संस्थापक, विशेष रूप से जेम्स मैडिसन और थॉमस जेफरसन, जॉन लॉक के सीमित सरकार सिद्धांत से काफी प्रभावित थे और उन्होंने अमेरिकी संविधान में अधिकारों और स्वतंत्रता की पैरवी की थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया, जहां वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति है और विधायिका स्वतंत्र है।[4]

दूसरी ओर, संघीय संरचना केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, लॉक और मोंटेस्क्यू का सिद्धांत व्यावहारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रपति और संघीय प्रणाली को लागू करने के लिए था। सीमित संघीय सरकार के पक्ष में राज्य के राष्ट्रपति और आपातकाल के दौरान संकट से निपटने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति की इन शक्तियों का उपयोग आंतरिक और बाह्य दोनों जगह किया जाता है। शक्ति का सबसे आम उपयोग आपातकाल की घोषणा करना है, जो सामान्य प्रशासन और अधिकार क्षेत्र के लिए फेमा (संघीय आपातकालीन प्रबंधन) को बदनाम करना है।

शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, संघवाद सरकार का एक रूप है, जो राज्य के अधिकारों का ख्याल रखने के साथ–साथ सामूहिक राष्ट्रीय एकता का भी ख्याल रखता है।[5] संघवाद एक राजनीतिक मध्यवर्ती निकाय है, जो व्यापक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक साथ रखता है ताकि मूल राजनीतिक अखंडता स्थिर रहे। संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यह विशेष माना जाता है कि बुनियादी नीतियों को समझौते द्वारा व्यक्त और कार्यान्वित किया जाए ताकि सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकें।

भारत में संघवाद

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघों में संघीय व्यवस्था के कई पहलू सामने आए, लेकिन अगर हम दुनिया में सबसे अनोखे संघवाद को जानना चाहते हैं, तो हमें 1950 में स्थापित भारतीय संघ का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि भारतीय संघवाद अपने आप में अनोखा और दुर्लभ है क्योंकि इसकी संरचना कई अनिश्चिताओं पर आधारित है।

भारतीय संघ में हम एकात्मक राज्य एवं संघवादी राज्य का रूप देखते हैं।[6] प्रो. के.सी. व्हेयर भारतीय संविधान को अर्ध–संघीय के नाम से पुकारते हैं। उनका कहना है कि भारतीय संघीय सिद्धांतों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं के बारे में जानने के लिए इसका भारत में उत्तर–औपनिवेशिक समाजों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में विश्लेषण किया जाना चाहिए।

भारत में सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता पहले से ही स्थापित है और यही कारण है कि भारतीय संघवाद दुनिया में स्थापित कानूनों की सीमाओं के रूप में बहुत अलग रूप में विकसित हो रहा है।[7] भारत ने लोकतंत्र और संघवाद के इस अनूठे विकल्प को स्थापित करने का प्रयास किया है। भारतीय संघवाद में क्षेत्रीय संप्रभुता साझा करने और संसाधनों को साझा करने के प्रयास किए गए, हालाँकि यह पर्याप्त नहीं था। संघवाद अभी भी विविध समाजों के लिए एक प्रभावी संस्थागत प्रणाली है। संघ और राज्यों के बीच साझा संप्रभुता का सिद्धांत है। यह विविधता के व्यापक दर्शन का एक हिस्सा है।

आजादी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय संविधान निर्माताओं ने शासन के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में शांति के समय राष्ट्रीय आपातकाल का कोई प्रावधान नहीं है, इसे केवल युद्ध के समय ही घोषित किया जा सकता है। देश में शांति के दौरान राज्य सरकार भारत की एकात्मक भावना को नहीं तोड़ सकती। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों में आंतरिक अशांति या गृहयुद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्र पर विदेशी ताकतों द्वारा हमला किया जाता है या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति निर्मित होती है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है।[8] यदि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है, तब भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आपातकालीन शक्ति का उपयोग 126 से अधिक बार किया गया है और इसके राजनीतिक उद्देश्य का दुरुपयोग राज्यों में अनुकूल सरकारें बनाने या विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली प्रतिकूल सरकारें प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। संघवाद की परिभाषा एवं अर्थ

विभिन्न विद्वानों और प्रोफेसरों ने अलग–अलग परिभाषाएँ देते हुए संघवाद के पहलुओं पर प्रकाश डाला है, के.सी. व्हेयर के अनुसार, ''सरकार और सरकार की इकाइयों के बीच सरकार के अधिकारों का एक संघीय संवैधानिक विभाजन बताता है कि देश के बाकी हिस्सों के साथ–साथ कानूनी तौर पर भी पूरी तरह से स्वायत्त या स्वतंत्र के हर क्षेत्र में हर सरकार की भागीदारी।"

संघवाद या संघवाद की यह परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि संघीय सरकार में संवैधानिक और कानूनी रूप से दो प्रकार की सरकारें स्थापित होती हैं और वे एक–दूसरे से संबंधित और निर्भर होती हैं।[9] इसके अलावा, संघ सरकार और राज्य के कार्य और शक्तियों की स्थिति का विवरण लिखित स्पष्टीकरण के साथ पूरा दिया गया है, जिससे दोनों सरकारें अपने–अपने राज्यों में खुद को स्थापित करेंगे।

ई. बी. शुल्ज़ के अनुसार, ''उचित एवं व्यावहारिक संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि संघ में शामिल इकाई कुछ हद तक स्वायत्तता की गारंटी देती है।'' इसलिए सरकार की शक्तियों को दो प्रकार की सरकारों के बीच विभाजित करते समय राष्ट्रीय हितों और इकाइयों, उनकी पहचान और विशेषताओं या हितों के बीच समन्वय का सख्ती से ध्यान रखा जाता है। राज्य के पास अधिकार है लेकिन उनके पास पूर्ण संप्रभुता नहीं है। केंद्र की मजबूती पर विचार करने से राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र या केंद्र सरकार को दिए जाएंगे।

अर्नेस्ट ए. यंग इस बात पर जोर देते हैं कि, "लोकप्रिय संस्कृति में, अकादमिक साहित्य में संघवाद की बहुत सारी परिभाषाएँ हैं और मुझे लगता है कि व्यापक परिभाषा लेना अधिक उपयोगी है और फिर आप जिस प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में विशिष्ट होने का प्रयास करें। इसलिए मैं कहूंगा कि संघीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों के बीच शक्ति को विभाजित करती है। बहुत सी परिभाषाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह विभाजन कम से कम कुछ हद तक संवैधानिक कानूनों के मामले में स्थापित हो, इसलिए सामान्य कानून द्वारा इसे बदलना आसान नहीं है।"

संघवाद की प्रकृति

अमेरिकी संघवाद का सिद्धांत अठारहवीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय इस कदम को एक बड़ा कदम माना गया था, इस घटना ने अमेरिका के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है।

1780 के दर्शक के दौरान, संघीय सरकार और संघवाद के विरोधियों द्वारा संविधान के समर्थन पर बहस ने राज्यों के अधिकारों और शक्तियों के संबंध में विवादों के आकार को बढ़ा दिया।[10] संविधान निर्माताओं ने एक संघीय व्यवस्था का गठन किया जिससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता–उन्मुख राज्यों पर पूर्ण प्रभाव डाला जा सके और राज्यों को सामान्य सरकारों की शासन प्रणाली में एकजुट करने के लिए पर्याप्त और संतोष जनक सरकार का गठन किया जा सके। यदि ऐसा किया जाये तो संविधान का समर्थन राज्यों द्वारा भी किया जा सकता है तथा राज्य एवं केन्द्र परस्पर एक हो सकते हैं।

संविधान में संघीय सिद्धांतों को शामिल करना इसके समर्थन में एक महत्वपूर्ण कारक था। सही मायनों में आज के समय में संघवाद का लाभ बहुत आगे तक पहुंचा है।

विकासशील देशों में संघवाद का प्रभाव

विकासशील देशों में संघवाद का प्रभाव विभिन्न हो सकता है। संघवाद एक मजबूत सामाजिक संगठन और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है जो उन्हें अधिक विकासशील और समृद्ध बनाने में मदद कर सकती है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें साझा उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए मिलकर प्रयास करने की क्षमता मिलती है।

संघवाद समाज में सामाजिक समानता, न्याय, और समरसता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह

विभिन्न वर्गों, समुदायों और जातियों के लोगों को एक साथ लाने और उनकी आवाज को सुनने का माध्यम बन सकता है। इसके फलस्वरूप, यह नागरिकों को सशक्त बना सकता है और उन्हें समाज में अधिकतम सहभागिता का अवसर प्रदान कर सकता है लेकिन, संघवाद का प्रभाव विकासशीलता पर नकारात्मक भी हो सकता है। कई बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक और सामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है, जिससे समाज में विभाजन और विवाद हो सकता है।

सामान्य प्रभाव

विविधता को संबोधित करना: विकासशील देशों में प्रायः विभिन्न सांस्कृतिक, भाषा और क्षेत्रीय पहचान वाली विविध आबादी होती है। संघवाद क्षेत्रों को निर्णय लेने में कुछ हद तक स्वायत्तता की अनुमति देकर इस विविधता को समायोजित कर सकता है, जो जातीय, भाषा या सांस्कृतिक मतभेदों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।

स्थानीय शासन और भागीदारी: संघवाद क्षेत्रों या राज्यों को स्थानीय मामलों पर अधिक अधिकार देकर स्थानीय शासन को बढ़ा सकता है।[11] इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे संभावित रूप से नागरिकों के बीच उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिल सकता है।

संसाधन आबंटन: कुछ मामलों में, संघवाद संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण की अनुमति देता है। विशेष आवश्यकताओं या आर्थिक असमानताओं वाले क्षेत्र अपने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली अनुरूप नीतियां और विकास रणनीतियां बन सकती हैं।

विकास को प्रोत्साहित करना: संघवाद स्थानीय सरकारों को उनकी अद्वितीय विकासात्मक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाले निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाकर क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।[12] सत्ता का यह विकेंद्रीकरण क्षेत्रों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

क्षमता और समन्वय की चुनौतियाँ: विकासशील देशों में संघवाद को लागू करने से प्रशासनिक क्षमता से संबंधित चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में अपनी नई स्वायत्तता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संसाधनों या विशेषज्ञता की कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच समन्वय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो नीतिगत सुसंगतता और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित कर सकता है।

संघर्ष शमन की संभावना: विविध जातीय या सांस्कृतिक समूहों वाले देशों में, संघवाद इन समूहों को स्व–शासन और प्रतिनिधित्व देकर संघर्ष की रोकथाम या समाधान के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। हालाँकि, अगर इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया, तो यह क्षेत्रों के बीच मौजूदा तनाव को भी बढ़ा सकता है।

राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलित करना: राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और पर्याप्त क्षेत्रीय स्वायत्तता की अनुमति के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अति–केंद्रीकरण से कुछ क्षेत्रों को हाशिए पर धकेला जा सकता है, जबकि अत्यधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता से राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है।

राजकोषीय नीति पर प्रभाव: संघवाद राजस्व संग्रह और व्यय सहित राजकोषीय नीतियों को प्रभावित करता है। संघीय व्यवस्था लागू करने वाले विकासशील देशों को वित्तीय स्थिरता और संसाधनों के समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय व्यवस्था पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, विकासशील देशों में संघवाद समावेशिता, स्थानीय सशक्तिकरण और विकास के अनुरूप रणनीतियों के अवसर प्रदान कर सकता है।[13] हालाँकि, इसकी सफलता प्रभावी शासन संरचनाओं, क्षमता–निर्माण प्रयासों और क्षेत्रों के बीच संभावित संघर्षों या असमानताओं को प्रबंधित करने के तंत्र पर निर्भर करती है।

विकासशील देशों में, संघवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

क्षेत्रीय विकास: संघवाद विकेंद्रीकरण की अनुमति देता है, क्षेत्रीय सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सशक्त बनाता है। इससे अक्सर स्थानीय स्तर पर बेहतर बुनियादी ढाँचा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल होती है।

सांस्कृतिक और जातीय सद्भाव: विविध देशों में, संघवाद क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करके विभिन्न जातीय समूहों को समायोजित कर सकता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान संरक्षित हो सकती है।

आर्थिक विकास: संघीय प्रणाली में राज्य या प्रांत निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जो आर्थिक विकास को गति दे सकता है। यह नवाचार और दक्षता को भी प्रोत्साहित करता है।

राजनीतिक स्थिरता: संघवाद क्षेत्रीय संस्थाओं को शासन में हिस्सेदारी देकर, केंद्र सरकार और स्थानीय क्षेत्रों के बीच तनाव को कम करके स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

नकारात्मक प्रभाव

प्रशासनिक चुनौतियाँ: सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय करना जटिल हो सकता है और इससे अक्षमताएँ, नौकरशाही बाधाएँ और अतिव्यापी क्षेत्राधिकार पैदा हो सकते हैं।

संसाधन वितरण: राज्यों या प्रांतों के बीच संसाधनों का असमान वितरण असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिससे आर्थिक असंतुलन और क्षेत्रों में नाराजगी पैदा हो सकती है।[14]

अलगाववादी आंदोलन: कुछ मामलों में, संघवाद अलगाववादी आकांक्षाओं को बढ़ावा दे सकता है क्योंकि क्षेत्र अधिक स्वायत्तता चाहते हैं, जिससे संभावित रूप से अलगाववादी आंदोलन हो सकते हैं और देश अस्थिर हो सकता है।

राजनीतिक गतिरोध: केंद्र सरकार और क्षेत्रीय संस्थाओं के बीच असहमति से राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है, निर्णय लेने में बाधा आ सकती है, इससे प्रगति में भी बाधा आ सकती है।

निष्कर्ष

संघवाद एक ऐसी संवैधानिक शासन व्यवस्था है, जिसमें शासन का स्तर दो या दो से अधिक भागों में बटा होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक संघीय सरकार होती है और अनेक राज्यों की सरकारें होती हैं। यह सभी व्यवस्था मिलकर एक संघ का निर्माण करती है।

केंद्रीय संघीय सरकार पूरे राष्ट्र के संचालन की सरकार होती है, जो केंद्रीय विषयों को देखती है। जबकि राज्य सरकारें राज्य से संबंधित शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवाला होता है। कहीं पर केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और राज्य को अधिक अधिकार नही मिले होते हैं, तो कहीं पर केंद्र और राज्य को समान शक्ति एवं अधिकार प्राप्त होती है।

विकासशील देशों में, संघवाद की प्रभावशीलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कैसे लागू और प्रबंधित किया जाता है। एक अच्छी तरह से योजना की गई संघीय प्रणाली जो विविधता का सम्मान करती है, समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करती है, और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है, किसी देश के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकती है। हालाँकि, कुप्रबंधन या संघीय सिद्धांतों की उपेक्षा के परिणामस्वरूप संघर्ष, असमानता और प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, सी पी (2022) *राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत,* रामप्रसाद पब्लिकेशन, आगरा, उप्र, पृ. 295।

2. अग्रवाल, आशीष के. (2021) *भारत का संविधान – एक परिचय* (एक चित्रमय और सारणीबद्ध प्रस्तुति), पब्लिशर सीए आशीष के अग्रवाल, लखनऊ, उप्र, पृ 256।

3. सिंह, उदयभान (2023) *भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था,* प्रभात प्रकाशन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, 2023, पृ. 34।

4. चतुर्वेदी, ए के (2021) *अमेरिका का इतिहास,* एसबीपीडी पब्लिकेशन, आगरा, उप्र, पृ. 110।

5. जोहरी, जे सी (2021) *सरकार के सिद्धांत एवं प्रकार,* एसबीपीडी पब्लिकेशन, आगरा, उप्र, पृ. 36।

6. जोहरी, जे सी (2022) *राजनीति विज्ञान,* एसबीपीडी पब्लिकेशन, आगरा, उप्र, पृ. 116।

7. चंद्र, बिपन (2005) *समकालीन भारत,* अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (पी) लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 94।

8. कश्यप, सुभाष (2003) *भारतीय राजनीति और संविधान,* राजकमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 127।

9. कौशिक, नरेंद्र एवं कौशिक, बलजीत (2020) *राजनीति विज्ञान,* न्यू सरस्वती हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 141।

10. कान्त, अमिताभ (2021) *भारतीय संघवाद की व्यवस्था,* योजना, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली, जनवरी पृ. 28।

11. कुमार, अजित (2021) *भारतीय राजव्यवस्था एवं प्रशासन,* अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, इ–बुक, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 101।

12. जोहरी, जे सी (2020) तुलनात्मक शासन और राजनीति, एसबीपीडी पब्लिकेशन, आगरा, उप्र, पृ. 146।

13. शृंगला, हर्षवर्धन (2023) भारत का बढ़ता प्रभाव, *योजना,* प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली, नवंबर 2023, पृ. 14।

14. घोष, पीयू (2021) *अंतर्राष्ट्रीय संबंध,* पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, पटपड़गंज, नई दिल्ली, पृ. 33।

****